

भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून  
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001  
दूरभाष: 0135-2650809  
फैक्स-0135-2653010  
ईमेल- [moef.ddn@gov.in](mailto:moef.ddn@gov.in)



GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &  
CLIMATE CHANGE  
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN  
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001  
PHONE- 0135-2650809  
FAX- 0135-2653010  
Email- [moef.ddn@gov.in](mailto:moef.ddn@gov.in)

पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./06/126/2021/एफ0सी0/1282

दिनांक: 28/12/2021

सेवा में,

✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी  
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय : जनपद – देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलैर-काण्डोई-मदर्सू मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.61 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (online no. FP/UK/Road/126434/2021)

सन्दर्भ: अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या-1195/FP/UK/Road/126434/2021 दिनांक 12-11-2021

महोदय,


उपर्युक्त प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गयी। राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:-

1. As per DSS analysis of the CA area which is proposed in Degraded Forest Land (DFL), the proposed area is overlapping with proposal no. FP/UK/ROAD/41707/2019. The State Govt is requested to change the area with some other area suitable for raising CA.
2. It is seen that justification uploaded online in Part I is sketchy. It is requested to upload a clear/ legible scanned copy of the justification in Part I mentioning the distance of the village from the existing road.
3. राज्य शासन लाभान्वित ग्रामों की जनसंख्या एवं मुख्य मार्ग से दूरी की जानकारी इस कार्यालय प्रेषित करने का कष्ट करें।
4. In view of the point No. 01 above, if the revised CA area will be proposed in DFL. State Govt is request to remove the details from para L in Part I which is designated for CA area proposed in Non-Forest Land.
5. It is seen that details of 83 trees and 15 saplings found uploaded at para 4 in Part II. However, in प्रारूप-21 it is submitted that number of trees proposed to be felled are 37 in 7 m width. State Govt may clarify.
6. It is seen that an estimate of Rs. 22,22,284/- uploaded for road side plantation. It is inform that only CA scheme is applicable.

7. Work not start certificate not found uploaded, which is required to be uploaded.
8. Site Inspection Report (SIR) of DFO and CF uploaded online are not legible and properly scanned. A clear/ legible scanned copy of the SIR of DFO and CF is requested to be uploaded at designated places in Part II.

उपरोक्त त्रुटियों की पूर्तता के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी एवं यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,



(टी० सी० नौटियाल)

उप महानिरीक्षक, वन (के०)

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-**

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(टी० सी० नौटियाल)

उप महानिरीक्षक, वन (के०)